

पुनर्विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-1928/ एस.एफ.सी.एम. सेल/ लखनऊ, दिनांकित 28.02.2026 के अनुपालन में परिवार न्यायालय, जौनपुर में तीन पद पर परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनपत्र उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किये जाने हैं, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-102/ सात-न्याय-2-2015-728/ 86, न्याय-अनुभाग-2, अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ, दिनांकित 18.06.2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

(1) आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और समाजसेवा का अनुभवी हो, जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्रीधारक हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी।

(2) आवेदक की आयु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।

(3) परामर्शदाता का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा।

(4) परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

(5) नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत रुपये 1,000/-प्रति कार्य दिवस अथवा रुपये-24,000/-प्रतिमाह, जो भी कम हो, का मानदेय देय होगा।

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो, वे अपना आवेदनपत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति सहित दिनांक 28.03.2026 तक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, जौनपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते हैं।

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, जौनपुर।

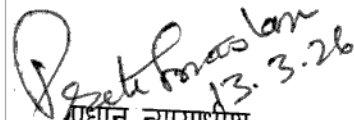
प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी (नजारत)जनपद न्यायालय, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित की उस विज्ञप्ति की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसिएशन, जनपद न्यायालय, जौनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

2. जिला सूचना अधिकारी जौनपुर को जनहित में प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित हो कि वे विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय, जौनपुर वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

नोट:- इस विज्ञप्ति की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित किया जाय।


13.3.26
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, जौनपुर।